



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

भारत में प्राथमिक खाद्य उपभोग का समानिकरण

भारत में प्राथमिक खाद्य उपभोग का समानिकरण

संदर्भ

- भारत की खाद्य संकट से आत्मनिर्भरता तक की यात्रा उल्लेखनीय रही है; फिर भी, करोड़ों लोग अब भी भूख का सामना करते हैं और उससे अधिक लोग अपर्याप्त पोषण से पीड़ित हैं।

भारत में प्राथमिक खाद्य उपभोग के बारे में

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) कार्यालय द्वारा किए गए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023–24 के अनुसार:
 - ग्रामीण परिवारों ने खाद्य वस्तुओं पर 47.04% व्यय किया, जबकि शहरी परिवारों ने 39.68% व्यय किया।
 - गैर-खाद्य व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 52.96% और शहरी क्षेत्रों में 60.32% रहा।
- विश्व बैंक की 'पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ़: इंडिया', 2025 के अनुसार, अत्यधिक गरीबी (प्रति दिन \$2.15 से कम पर जीवन) 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% रह गई।

भारत में उपभोग आधारित प्रमुख गरीबी समितियाँ

- अलाघ समिति (1979):** ग्रामीण और शहरी भारत के लिए गरीबी रेखा को परिभाषित करने का प्रथम आधिकारिक प्रयास।
 - न्यूनतम कैलोरी सेवन पर आधारित — ग्रामीण के लिए 2,400 किलो कैलोरी/दिन और शहरी के लिए 2,100 किलो कैलोरी/दिन।
- लक्षद्वाला समिति (1993):** NSSO सर्वेक्षणों से उपभोग व्यय डेटा का उपयोग किया।
- तेंदुलकर समिति (2005–2009):** कैलोरी मानकों से हटकर व्यापक उपभोग टोकरी अपनाई।
 - स्वास्थ्य और शिक्षा को गरीबी आकलन में शामिल किया।
 - डेटा संग्रह के लिए मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड (MRP) का उपयोग किया।
- रंगाराजन समिति (2012–2014):** तेंदुलकर पद्धति की आलोचना के बीच गरीबी मापन का पुनर्मूल्यांकन।
 - गरीबी सीमा में वृद्धि:** शहरी के लिए ₹32/दिन और ग्रामीण के लिए ₹27/दिन (2014 मूल्य)।
 - खाद्य, वस्त्र, किराया, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य को पावर्टी बास्केट में शामिल किया।
 - नीति लक्ष्यों के लिए जनसंख्या के निचले 30% को ट्रैक करने का सुझाव दिया।

कैलोरी से आगे: 'थाली भोजन' दृष्टिकोण

- परंपरागत विधि:** भारत में गरीबी का आकलन ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक आय के आधार पर किया गया है।
 - यह पोषण और खाद्य संतुष्टि के व्यापक पहलुओं को नहीं दर्शाता, यद्यपि यह शारीरिक दृष्टिकोण उपयोगी है।
- थाली एक मीट्रिक के रूप में:** चावल, दाल, सब्जियाँ, रोटी, दही और सलाद से बनी थाली दक्षिण एशिया में संतुलित और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक खाद्य उपभोग इकाई का प्रतिनिधित्व करती है।
 - CRISIL के ₹30 प्रति घर-निर्मित थाली के अनुमान का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने वास्तविक खाद्य व्यय डेटा के आधार पर वहन क्षमता का आकलन किया।

निष्कर्ष (2023-24):

- 50% ग्रामीण और 20% शहरी परिवार दो थाली प्रतिदिन वहन नहीं कर सके।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की आपूर्ति को ध्यान में रखने के पश्चात भी वंचना अधिक रही: ग्रामीण क्षेत्रों में 40% और शहरी क्षेत्रों में 10%।
- यह संकेत देता है कि खाद्य वंचना विश्व बैंक की गरीबी आंकड़ों की तुलना में कहीं अधिक स्तर पर बनी हुई है।

संबंधित चिंताएँ और मुद्दे

- PDS प्रभावशीलता:** अनाज केवल लगभग 10% घरेलू व्यय का हिस्सा है, जिससे व्यापक पोषण घाटे से निपटने में प्रणाली की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।
- सब्सिडी वितरण:** ग्रामीण भारत में, व्यय क्षमता तिगुनी होने के बावजूद, शीर्ष 10% को अभी भी निचले 5% के बराबर ही सब्सिडी मिलती है।
 - शहरी भारत में, सब्सिडी व्यवस्था अधिक प्रगतिशील है, फिर भी लगभग 80% परिवार लाभान्वित होते हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो बुनियादी पोषण आवश्यकताओं से कहीं ऊपर हैं।
- असमान प्रोटीन उपभोग:** दालों का उपभोग, जो कई भारतीयों के लिए मुख्य प्रोटीन स्रोत है, अत्यधिक असमान है।
 - सबसे गरीब लोग सबसे अमीरों की तुलना में आधी दालें ही उपभोग करते हैं।

प्रयास और पहले

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS):** यह सब्सिडी वाले अनाज एवं मुफ्त भोजन प्रदान करती है, और आय समूहों के बीच अनाज उपभोग को समान करती है।
 - सबसे अमीर भी लगभग उतना ही चावल और गेहूँ उपभोग करते हैं जितना सबसे गरीब।
- शहरी गरीबी उन्मूलन (2024 पायलट मिशन):** यह DAY-NULM की सफलता पर आधारित है, जिसने 1 करोड़ से अधिक शहरी गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया, जिसमें 90% महिलाएँ शामिल थीं।
 - यह पाँच घटकों के साथ शहरी गरीबी को लक्षित करता है:
 - समुदाय-आधारित संस्थागत विकास
 - वित्तीय समावेशन और उद्यम विकास
 - सामाजिक अवसंरचना
 - अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय
 - कमजोर समूहों के लिए नवाचार परियोजनाएँ (जैसे गिग वर्कर्स, घरेलू कामगार)
- समग्र पोषण रिपोर्ट:** महिलाओं और बच्चों में एनीमिया से लड़ने के लिए आयरन सेवन में सुधार और स्रोतों का विविधीकरण आवश्यक है।

प्राथमिक खाद्य उपभोग को समर्थन देने वाले अन्य प्रयास

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA):** ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी जनसंख्या के 50% को सब्सिडी वाले खाद्यान्न का कानूनी अधिकार देता है।
 - 81 करोड़ लाभार्थियों को कवर करता है, जिनमें 16 करोड़ महिलाएँ शामिल हैं, अंतर्गत:

- प्राथमिकता परिवार (PHH)
- अंत्योदय अन्न योजना (AYA)
- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):** COVID-19 के दौरान गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए शुरू की गई।
 - जनवरी 2024 से पाँच वर्षों के लिए विस्तारित।
 - 81.35 करोड़ लोगों को लाभ देता है, जिससे आर्थिक संकट के दौरान खाद्य पहुँच सुनिश्चित होती है।
- **PM पोषण (पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना):** स्कूल बच्चों में पोषण सुधार को लक्षित करता है।
 - सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को कवर करता है।
 - नियमित स्कूल उपस्थिति और बेहतर सीखने के परिणामों को बढ़ावा देता है।
- **फोर्टिफाइड चावल वितरणः** आवश्यक विटामिन और खनिजों से युक्त चावल को बढ़ावा देता है।
 - 2019–20 से PDS के माध्यम से 406 लाख मीट्रिक टन से अधिक वितरित।
 - छिपी हुई भूख और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से लड़ने का लक्ष्य।

नीतिगत सिफारिशें

- **PDS सब्सिडी का पुनर्गठन करेंः** सबसे गरीब परिवारों के लिए समर्थन बढ़ाएँ।
 - उन परिवारों के लिए सब्सिडी समाप्त करें जो पहले से ही प्रतिदिन दो थाली से अधिक उपभोग कर रहे हैं।
- **संसाधनों का पुनः आवंटन करेंः** अत्यधिक अनाज अधिकारों को तर्कसंगत बनाएं।
 - बचत को दालों की सब्सिडी की ओर पुनर्निर्देशित करें।
- **PDS को संक्षिप्त और प्रभावी बनाएँः** संसाधनों को कमज़ोर करने वाली व्यापक कवरेज से बचें।
 - प्राथमिक खाद्य उपभोग को जनसंख्या में समान करने के लिए लक्षित समर्थन प्रदान करें।

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्नः पोषण संबंधी समानता, क्षेत्रीय असमानताओं और सरकारी नीतिगत हस्तक्षेपों के संदर्भ में भारत में प्राथमिक खाद्य उपभोग को समान बनाने के महत्व पर चर्चा करें।